न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/515

1. नन्दकिशोर आुय 50 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति बैरागी ।
2. बनवारी आयु 32 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति बैरागी निवासीगण ग्राम लखारिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गाशंकर आयु 45 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम लखारिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. रामभरोस आत्मज मांगीलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम लखारिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी ग्राम लखारा मंदिर सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3. प्रेम चन्द आत्मज मांगीलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम लखारिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लखारिया तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 102 की रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 की रकबा 2.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 104 की रकबा 0.12 हैक्टर कुल 03 किता की 2.46 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के खाते की भूमि है जिसके पुजारी जगन्नाथ वल्द धूलादास थे । वादीगण दोनों भाई मिलकर अपने दादा जी जगन्नाथ जी के जीवनकाल से ही लगातार निर्बाध रूप से सेवा पूजा करते

चले आ रहे हैं और उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । राज्य सरकार के द्वारा माफी रिज्यूम कर दिये जाने से एवं वादीगण के पक्ष में वादीगण के पिता मांगीलाल के द्वारा वसीयतनामा दिनांक 06.06.2016 आलेखित किये जाने से वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी में समान हक से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । अप्रार्थीगण कम 1 से 3 प्रार्थीगण की आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में एवं मंदिर की सेवा पूजा में व्यवधान उत्पन्न करते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का वादीगण को समान हक से खातेदार कृषक दर्ज किया जावे । वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण कम 1 से 3 अथवा उनके दीगर कोई एजेन्ट उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं दिनांक 01.06.2017 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 25.05.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 01.06.2017 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 25.05.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 14 नियम 05 की पालना किये बिना ही तनकीयात कायम किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो रेस्पोडेन्ट को तलब किया और न ही अपीलान्ट को साक्ष्य का मौका दिया न ही जवाबदावा रिकॉर्ड पर लिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षकारों की गुणावगुण पर सुनवाई के बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 25.05.2018 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने फर्द के साथ कुछ दस्तावेज की फोटो प्रति पेश की हैं जो शामिल मिसल की गई ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया था जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.07.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ पुजारी जगन्नाथ के खाते में है । वादीगण अपने दादा के जीवनकाल से वादग्रस्त आराजी की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं, इस कारण एक दावा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेस्पोडेन्ट का जवाबदावा लिये बिना साक्ष्य लिये विधि –विरूद्ध रूप से खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट की तलबी नहीं की गई है । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 25.05.2018 निरस्त फरमाये जावें ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मंदिर की है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी अपीलान्ट का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 25.05.2018 बहाल रखा जावे । उनके द्वारा फर्द के साथ कुछ दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ पेश की हैं जो शामिल मिसल किये गये ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी और जवाब प्रतिवादी संख्या 1 में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं, प्रतिवादीगण उपस्थित हुए हैं और उसी दिन गुणागवुण के आधार पर वादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय एवं पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । लोक अदालत की कोई सूचना वादी को प्रदान की गई हो इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 25.05.2018 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा